प्र.सं. ..../ दावा / प्र.पत्र /......................

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
24/11/25	त्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दोर में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अतः त्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 15/12/25 को पेश हो
15/12/25	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दोर मे तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अत त्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 23/12/25 को पेश हो
23/12/25	वकु० उप० । बहस उभयपक्ष सुनी गयी । पत्रा० वास्ते आदेश दि० 30/12/25 को पेश हो ।
30/12/25	पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि भूमि ख0सं0 139 रकबा 1.9101 हैक्टे वाके ग्राम सीन्ता पटवार हल्का सीन्ता में विस्थित है जिसमें प्रार्थी सं0 1 का 33/236 हिस्सा, प्रार्थी सं0 2 का 31/118 हिस्सा, प्रार्थी सं0 3 का 79/236 हिस्सा निहित है। जमाबन्दी संवत 2073–76 अनुसार प्रार्थीगण की भूमि राजस्व नक्शे लटठे में पृथक–पृथक तरमीम हो रही थीं और अलग–अलग जमाबन्दी बनी हुई थी। किन्तु प्रार्थीगण की जानकारी में लाये बगैर नामान्तकरण सं0 1066 दिनांक 04.11.2019 को तहसीलदार तालेडा ने उक्त खसरे को एकीकरण करते हुए प्रार्थीगण की भूमि का एकीकरण कर नये नम्बर 139 कायम कर दिये गये। जिसे दुरूस्त कर प्रार्थीगण के दर्ज हिस्से को एकीकरण से पूर्व स्थिति के अनुसार पृथक से राजस्व नक्शा व जमाबन्दी तैयार करने के आदेश तहसीलदार तालेडा को फरमाये जावे। पेरोकार सरकार ने दौराने बहस निवेदन किया कि नामान्तकरण सं0 1066 दिनांक 04.11.2019 से वाद वर्णित समस्त खसरा का एकीकरण कर नया नम्बर 139 बनाया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड,तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रेषित रिपोर्ट एवं बहस उभय पक्ष सुनने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वाद वर्णित आराजी 139 रकबा 1.9101 हैक्टे गै0मु0आबादी (0.8013 हैक्टे0)नहरी II (1.1088 हैक्टे0)दर्ज है। मौके पर ख0सं0 139 पर मंगलधाम के नाम से प्लानिंग की हुई है इस प्लानिंग पर कुछ खातेदारी द्वारा चार दिवारी कर प्लाट बना रखे है व कुछ खातेदारो द्वारा प्लाट मिक्स कर खेती कार्य किया जाता है मौके पर प्लानिंग के मध्य से रास्ता बना रखा है। नामान्तकरण सं0 1066 दिनांक 4.11.2019 तहसीलदार के आदेश क्रमांक /भू0अ0/2019/4117 दिनांक 22.10.2019 से उक्त खसरो का एकीकरण कर नया खसरा 139 बनाया गया है। उक्त खसरे जिनका एकीकरण हुआ है उसमे कुछ खसरो का लटठा नक्शा पृथक तरमीम व कुछ खसरो का नक्शा लटठा में तरमीम का स्पष्टीकरण नही हो रहा है व नक्शा लटठा में तरमीम कुछ खसरा नम्बर नही लिखे

प्र.सं. ..../ दावा / प्र.पत्र / ....

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
हुए है जिससे मौके व रेकार्ड नक्शा लटठा का स्पष्टीकरण नहीं होने से उक्त खसरो का एकीकरण कर एक नया नम्बर बनाया गया है उक्त खसरो का पूर्व की तरह पृथक पृथक करने हेतु सभी खातेदारो की उपस्थिति में मौके की जानकारी की जाये तभी सम्भव है। किन्तु प्रार्थीगण ने शेष खातेदारान् को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाये जाने से प्रकरण में मिस जोइन्डर ऑफ पार्टी का नुक्स होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।	